ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		72061.09	48.28	72109.37	74100.00	43.72	74143.72	67138.54	44.78	67183.32	73175.00	46.82	73221.82
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**72061.09**	**48.28**	**72109.37**	**74100.00**	**43.72**	**74143.72**	**67138.54**	**44.78**	**67183.32**	**73175.00**	**46.82**	**73221.82**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	22.22	22.22	...	24.09	24.09	...	24.04	24.04	...	25.97	25.97
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2. आजीविका (पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)													
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	2664.63	...	2664.63	2621.60	...	2621.60	2412.16	...	2412.16	3163.50	...	3163.50
2.02 ईएपी घटक	2501	...	...	...	...	...	...	...	...	...	400.00	...	400.00
जोड़- आजीविका (पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)		*2664.63*	*...*	*2664.63*	*2621.60*	*...*	*2621.60*	*2412.16*	*...*	*2412.16*	*3563.50*	*...*	*3563.50*
ग्रामीण रोजगार													
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना													
3.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	35840.74	...	35840.74	40000.00	...	40000.00	31000.00	...	31000.00	33000.00	...	33000.00
3.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-35841.49	...	-35841.49	-40000.00	...	-40000.00	-31000.00	...	-31000.00	-33000.00	...	-33000.00
कुल		*-0.75*	*...*	*-0.75*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
आवास													
4. ग्रामीण आवास													
4.01 इंदिरा आवास योजना	2216	10337.46	...	10337.46	8996.00	...	8996.00	8996.00	...	8996.00	9966.00	...	9966.00
4.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216	-7000.00	...	-7000.00	-8448.00	...	-8448.00	...	...	...	...	...	...
कुल		*3337.46*	*...*	*3337.46*	*548.00*	*...*	*548.00*	*8996.00*	*...*	*8996.00*	*9966.00*	*...*	*9966.00*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	484.73	...	484.73	413.90	...	413.90	502.90	...	502.90	449.00	...	449.00
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	97.00	24.94	121.94	94.50	18.23	112.73	70.50	19.37	89.87	94.50	19.30	113.80
7. कापार्ट को सहयोग	2515	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	66.20	...	66.20	90.00	...	90.00	90.00	...	90.00	135.00	...	135.00
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2515	119.78	1.12	120.90	108.00	1.40	109.40	108.00	1.37	109.37	108.00	1.55	109.55

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	0.60	...	0.60	250.00	...	250.00	2550.00	...	2550.00	247.50	...	247.50
	3601	...	...	...	19.99	...	19.99	19.99	...	19.99	...	...	...
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*0.60*	*...*	*0.60*	*270.00*	*...*	*270.00*	*2570.00*	*...*	*2570.00*	*247.50*	*...*	*247.50*
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**818.31**	**26.06**	**844.37**	**1076.40**	**19.63**	**1096.03**	**3376.40**	**20.74**	**3397.14**	**1069.00**	**20.85**	**1089.85**
सड़कें और पुल													
11. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	4987.50	...	4987.50	5550.00	...	5550.00	5531.25	...	5531.25	5827.20	...	5827.20
12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)													
12.01 कार्यक्रम घटक	3054	21509.95	...	21509.95	16006.10	...	16006.10	15987.35	...	15987.35	20699.00	...	20699.00
12.02 ईएपी घटक	3054	890.00	...	890.00	2211.00	...	2211.00	2211.00	...	2211.00	1000.00	...	1000.00
12.03 पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-4987.50	...	-4987.50	-5550.00	...	-5550.00	-5531.25	...	-5531.25	-5827.20	...	-5827.20
	कुल	*17412.45*	*...*	*17412.45*	*12667.10*	*...*	*12667.10*	*12667.10*	*...*	*12667.10*	*15871.80*	*...*	*15871.80*
जोड़-सड़कें और पुल		**22399.95**	**...**	**22399.95**	**18217.10**	**...**	**18217.10**	**18198.35**	**...**	**18198.35**	**21699.00**	**...**	**21699.00**
13. राष्ट्रीय निवेश - निधि (एनआईएफ) को अंतरण													
13.01 ग्रामीण रोजगार	2505	10360.79	...	10360.79	18768.00	...	18768.00	7831.53	...	7831.53	17874.00	...	17874.00
13.02 ग्रामीण आवास	2216	7000.00	...	7000.00	8448.00	...	8448.00	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय निवेश - निधि (एनआईएफ) को अंतरण		*17360.79*	*...*	*17360.79*	*27216.00*	*...*	*27216.00*	*7831.53*	*...*	*7831.53*	*17874.00*	*...*	*17874.00*
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण													
14.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	35841.49	...	35841.49	40000.00	...	40000.00	31000.00	...	31000.00	33000.00	...	33000.00
14.02 एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2505	-10360.79	...	-10360.79	-18768.00	...	-18768.00	-7831.53	...	-7831.53	-17874.00	...	-17874.00
	कुल	*25480.70*	*...*	*25480.70*	*21232.00*	*...*	*21232.00*	*23168.47*	*...*	*23168.47*	*15126.00*	*...*	*15126.00*
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
15.01 आजीविका (पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)	2552	...	...	...	292.40	...	292.40	269.13	...	269.13	351.50	...	351.50
15.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	1004.00	...	1004.00	1004.00	...	1004.00	1109.00	...	1109.00
15.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	47.10	...	47.10	47.10	...	47.10	51.00	...	51.00
15.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	...	...	...	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50
15.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	...	...	...	15.00	...	15.00
15.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
15.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	27.50	...	27.50

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15.08 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - कार्यक्रम घटक	2552	...	...	...	1782.90	...	1782.90	1782.90	...	1782.90	2301.00	...	2301.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*3188.90*	*...*	*3188.90*	*3155.63*	*...*	*3155.63*	*3877.50*	*...*	*3877.50*
कुल जोड़		***72061.09***	***48.28***	***72109.37***	***74100.00***	***43.72***	***74143.72***	***67138.54***	***44.78***	***67183.32***	***73175.00***	***46.82***	***73221.82***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	13054	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2664.63	...	2664.63	2621.60	...	2621.60	2412.16	...	2412.16	3563.50	...	3563.50
2. ग्रामीण रोजगार	12505	35840.74	...	35840.74	40000.00	...	40000.00	31000.00	...	31000.00	33000.00	...	33000.00
3. आवास	22216	10337.46	...	10337.46	8996.00	...	8996.00	8996.00	...	8996.00	9966.00	...	9966.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	818.31	...	818.31	1076.40	...	1076.40	3376.40	...	3376.40	1069.00	...	1069.00
5. सड़क एवं पुल	13054	22399.95	...	22399.95	18217.10	...	18217.10	18198.35	...	18198.35	21699.00	...	21699.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	3188.90	...	3188.90	3155.63	...	3155.63	3877.50	...	3877.50
जोड़		**72061.09**	**...**	**72061.09**	**74100.00**	**...**	**74100.00**	**67138.54**	**...**	**67138.54**	**73175.00**	**...**	**73175.00**

1. प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. एसजीएसवाई को मिशन मोड में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए उसे जून 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि लक्षित रूप से और समयबद्ध तरीके से परिणाम हासिल किए जा सकें। एनआरएलएम को अब आजीविका का नाम दिया गया है। एनआरएलएम का उद्देश्य गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार और कौशल आधारित मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर निर्धनता को कम करना है ताकि जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त और स्थायी संस्थाएं बनाकर उनकी जीविका को स्थायी आधार प्रदान करके पर्याप्त रूप से बेहतर बनाया जा सके। आजीविका एनआरएलएम पूर्ववर्ती की मुख्य विशेषताएं हैं – प्रत्येक बीपीएल परिवार को स्व सहायता समूह के अंतर्गत लाना, विभिन्न स्तरों पर समर्पित कार्यान्वयन ढांचा स्थापित करना, लाभार्थियों के लिए बढ़ी हुई पूंजी सब्सिडी, कम ब्याज दर पर बैंकों से बीपीएल ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराने के प्रावधान सहित कई ऋणों की आसान उपलब्धता, विभिन्न स्तरों पर स्व सहायता समूह संघों जैसे जन स्वामित्व वाले संगठन का गठन तथा सशक्तीकरण तथा कौशल विकास और प्लेसमेंट कार्यक्रम का पैमाना बढ़ाना।

आजीविका के अंतर्गत, 20% निधियां नियोजन से जुड़ी कौशल विकास तथा अभिनव विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। कौशल विकास की प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियमित मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करते हुए नियोजन के जरिए काफी अधिक संख्या में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा।

महिला कृषकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने तथा ग्रामीण महिला कृषकों, मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी रूप से अधिकार संपन्न बनाने के लिए- एनआरएलएम के उप-घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक नई योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू व कश्मीर में कौशल सशक्तीकरण और रोजगार (एसईईजेएंडके) के लिए हिमायत नामक एक नई योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इसमें अगले 5 वर्षों में जम्मू व कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों

http://indiabudget.nic.in

के एक लाख युवाओं को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इसमें अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले सभी युवाओं अर्थात् विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, स्नातक तक की पढ़ाई पूरी न करनेवाले आदि को शामिल किया जाएगा। 70% निधियों का इस्तेमाल मजदूरी रोजगार के लिए तथा शेष 30% निधियों का इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए किया जाएगा। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है।

3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने की व्यवस्था करना है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया था, बाद में दो चरणों में इसे देशभर में लागू किया गया।

मनरेगा में टिकाऊ और लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का काफी अधिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय विकास होगा। परिसंपत्तियां सृजित करने के उद्देश्य में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी और विभागीय तालमेल की आवश्यकता होती है। मनरेगा के अंतर्गत शिकायतों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय ओम्बड्समैन की नियुक्ति करके जिला स्तर पर स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र बनाया जा रहा है।

जमीनी स्तर पर सार्वजनिक खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा-परीक्षा करने की प्रक्रिया एवं कार्यविधियों का वर्णन करते हुए मनरेगा योजना की लेखा परीक्षा नियमावली 2011 अधिसूचित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित किया गया है और इसे कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) से जोड़ दिया गया है।

भारत सरकार की समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए पिछड़े जिलों पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे आईएपी जिलों में मनरेगा कामगारों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है। आईएपी जिलों में मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों के निर्माण को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमेय क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है।

मनरेगा के प्रावधान में मनरेगा कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ के लिए 350 करोड़ रूपए शामिल है।

4. इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना। 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं। गामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3% निधियां आरक्षित हैं।बीपीएल अल्पसंख्यकों (15 प्रतिशत) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

आवासीय इकाई निरपवाद रूप में लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जानी चाहिए। विकल्प के रूप में, इसे पति-पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किया जा सकता है। यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो तो मकान पुरुष के नाम पर आवंटित किया जा सकता है।

इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रत्ये क मकान के निर्माण के लिए 45,000 रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 48,500 रु. की सहायता दी जाती है। तत्पश्चात्, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 60 जिलों के लिए भी 48,500 रु. प्रति मकान का वित्तपोषण लागू किया गया है। आईएवाई के वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत, कच्चे मकानों के उन्नयन और/ अथवा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के लिए खर्च किया जा सकता है। आईएवाई मकानों को विभेदक ब्याज दर(डीआरआई) योजना में भी शामिल किया गया है ताकि आईएवाई के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता के अलावा उन्हें राष्ट्रीय बैकों द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति इकाई 20,000 रु. तक का ऋण मुहैया कराया जा सके। 15,000 रूपए का प्रावधान उन्नयन के लिए है और ऋण सह सब्सिडी योजना के तहत 32,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 12,500 रूपए की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। घर के निर्माण हेतु उन्हें बैंक से 50,000 रूपए तक ऋम मिल सकता है। वित्तपोषण को केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में शत-प्रतिशत राशि केंद्र द्वारा उपलब्ध् कराई जाती है। इंदिरा आवास योजना के भाग के रुप में, अगस्त, 2009 से ऐसे ग्रामीण बीपीएल परिवारों, जिनके पास रहने के लिए भूमि/स्थातन नही हैं, के मकानों के निर्माण के लिए आवास-स्थल/ वास भूमि क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी 10,000 रु. तक राशि देने की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य् के बीच निधियों का वित्तपोषण 50:50 के आधार पर किया जाना है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, आईएवाई के साथ संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, पेयजल आपूर्ति, आम आदमी बीमा योजना, स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तालमेल बिठाया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगा, आगजनी और आग, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्वास जैसी आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि से उत्पान्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएवाई के तहत कुल आवंटन का 5 प्रतिशत अलग रखा जाता है। कोई जिला अपने वार्षिक आवंटन का 10 प्रतिशत अथवा 70.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित), जो भी अधिक हो, का उपयोग कर सकता है।

5. डीआरडीए प्रशासन की योजना का उद्देश्य, डीआरडी एजेंसियों को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक पेशेवर तथा कारगर बनाना है। इसे एक ओर तो मंत्रालय के गरीबी विरोधी कार्यकमों के प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता प्राप्त एक सक्षम एजेंसी के रूप में देखा जाता है और दूसरी ओर यह इन कार्यक्रमों को जिले में गरीबी उपशमन के समस्त प्रयासों के साथ जोड़ती है। इस योजना का वित्पोषण, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्योंष के मामले में 90:10 के अनुपात में किया जाता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीआरडी एजेंसियों को सीधे 2 किस्तों में निधियां प्रदान की जाती हैं।संघ राज्य, क्षेत्रों को केंद्र द्वारा 100 प्रतिशत निधियां प्रदान की जाती हैं।

http://indiabudget.nic.in

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है। विकासात्माक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

7. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कपार्ट उच्च स्तर की सामाजिक एकजुटता के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन शुरू करने का कार्य करती है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पुरा) का उद्देश्य निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में अंतर को समाप्त करना है। ताकि उनकी विकास की क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

9. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

10. यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य किए जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्यर से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्योंर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

11 & 12. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित येाजना के रूप में 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 व्यतक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड) जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना इस कार्यक्रम का उद्देश्यत होगा। पिछले वर्ष इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके चुनिंदा पिछड़े और जनजातीय जिलों में समेकित कार्य योजना के कार्यान्वायन के लिए योजना आयोग द्वारा अभिनिर्धारित 60 जिलों में 250 व्यडक्तिजयों और इससे अधिक आबादी वाली बसावटों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के अंतर्गत कुल 1,58,849 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध् कराने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में उन्नयन घटक भी शामिल है, जिसमें खेतों से बाजार तक पूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा 3.75 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली 40 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों का नवीकरण सहित) के उन्नयन का लक्ष्या निर्धारित किया गया है।

'ग्रामीण सड़क' को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य 1000 व्यक्तियों और इससे अधिक (पर्वतीय राज्यों या अनुसूची V के जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक) आबादी वाली सभी बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम में 'उन्नयन' घटक भी शामिल है, जिसमें खेतों से बाजार तक पूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौजूदा 1.94 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले ग्रामीण सड़कों के 40 प्रतिशत नवीकरण सहित) के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैं, जिनमें से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I और II एशियाई विकास बैंक की सहायता से तथा ग्रामीण सड़क परियोजना-I विश्व बैंक की सहायता से चल रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र-III परियोजना पर भी बातचीत चल रही है। विश्व बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-II के अंतर्गत 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर 14 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 7 राज्यों में चलाई जा रही है।

13. इंदिरा आवास योजना तथा महात्माण गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष का आंशिक वित्त पोषण राष्ट्रीय निवेश कोष के जरिए किया जाता है।

14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वित्तपोषण पूर्णत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष से किया जाता है।

15. पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

http://indiabudget.nic.in